

121-519

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण पत्रक वर्ष .....

कर्मचारी का पुरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिससे वह हो

2 वर्तमान धारित पद

वर्तमान वेतन

4 आगामी वेतन वृद्धि दिनांक

1. अचल सम्पत्ति का विवरण (जमीन, भवन, वाहन, आदि)	2. सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		4. वर्तमान मूल्य	5. यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकिय कर्मचारी से क्या संबंध है	6. उसी विधा प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिराते अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	7. सम्पत्ति से वार्षिक आय	8. प्रमित्युक्ति
	2. गृह तथा अन्य भवन	3. भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
पूरा सम्पत्ति	पन्ना मन्दा मेनरोड इंकार	-	1 करोड	पिता स्व. पन्नावाल जी के हिये	30X70 का प्लॉट साह. धरिया भेकगढ उल्हा खरीद गमा है	नही	नही

- 1. यहाँ लागू न हो उसके कार दीजिए
- 2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना सम्भव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के सर्वभ में लगभग मूल्य बताया जाए।

3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने के परचातु प्रोपणा पर आधार प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वाभित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के ब्योरे

हरताक्षर  
नाम  
पद  
विभाग

29/11/12  
साहिवा  
उप-उल्हा अधीक  
मन्दि अन्नाय प्रकोप  
पन्ना मन्दा